निर्णय ब इजलास प्रियन्का गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़
प्रकरण संख्या 69/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

मनोज कुमार शर्मा निवासी मन्दिर लक्ष्मीनारायण,
पंचायत समिति के सामने, कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड.

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 30.06.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/140 दिनांक 26.05.2025 एवं 177 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा अवगत कराया अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में चाही गई सूचना नगर परिषद कोटपूतली से संबंधित होने के कारण पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/140 दिनांक 26.05.2025 के दौरान आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली को लिखा जाकर प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/141 के द्वारा सूचित किया गया।
5. अपीलार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना नगर परिषद कोटपूतली से संबंधित है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रत्यर्थी/अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचना कार्यालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया है लेकिन प्रार्थना पत्र का अन्तरण संबधित विभाग को नहीं किया।
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारिख से पॉच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।"
8. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त प्रावधान को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र का अन्तरण नहीं किया गया, जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है।
9. अरस्तु प्रथम अपील स्वीकार की जाती है, प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र में वांछित सूचना, संबधित कार्यालय नगर परिषद कोटपूतली से बिन्दुवार प्राप्त कर निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर अपीलार्थी को अविलम्ब उपलब्ध कराई जावे, सबंधित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित करें।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष के साथ–साथ नगर परिषद कोटपूतली को भी जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
11. निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर),
कोटपूतली बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़